

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक: एफ: 6-1 /2018/नियम/चार  
प्रति,


भोपाल, दिनांक ०६ अगस्त, 2018

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।

विषय - शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान  
पर 300 दिवस करने बावत् ।

-----

म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 25 के उप नियम (1)  
में, खण्ड (ग) में, उपर्युक्त विषयक संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई, 2018  
संलग्न है ।

  
(अजय चौबे)  
उप सचिव,  
म.प्र.शासन, वित्त विभाग



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2018—श्रावण 12, संक 1940

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

### वित्त विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. एफ 6-1-2018-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 25 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) में, अंक "240" के स्थान पर, अंक "300" स्थापित किया जाए,
2. यह संशोधन, पहली जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगा.

No. F 6-1-2018-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 1977, namely:—

### AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 25, in sub-rule (1), in clause (c), for the figure "240", the figure "300" shall be substituted.
2. This amendment shall come into force 01<sup>st</sup> July, 2018.

मध्यप्रदेश का राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार,

उत्तराध्यक्ष, प्रमुख सचिव.